मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 110वीं बैठक दिनांक 26.02.2005 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः पूर्वान्ह 11.00 बजे।
उपस्थिति

1.	श्री शिवपाल सिंह यादव, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री शिवपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्रीमती नीरा यादव, कृषि उत्पादन आयुक्त
3.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	श्री जी0बी0 पटनायक, प्रमुख सचिव, कृषि
4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	सुश्री जोहरा चटर्जी, प्रमुख सचिव, वित्त
5.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित	श्री एन0एस0 रवि, सचिव
6.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री एस0ए0ए0 रिजवी, निबन्धक
7.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री बाबूराम, संयुक्त निदेशक
8.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री आर0एस0 पाण्डेय कृषि निदेशक
9.	निदेशक (कृषि विपणन) कृषि विपणन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य	डा0 रजनीश दुबे निदेशक, कृषि विपणन
10.	डा0 रजनीश दुबे मण्डी निदेशक	सदस्य/ सचिव	डा0 रजनीश दुबे सदस्य/ सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/ निर्णय
01.	मा0 परिषद की 109वीं बैठक दि0 29.11.2004 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

02.	गत 109वीं बैठक की अनुपालन आख्या।	109वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।
03.	वित्तीय वर्ष 2004–05 का पुनरीक्षित आय व्ययक अनुमान (Budget Estimate) तथा वित्तीय वर्ष 2005–06 का आय व्ययक अनुमान (Budget Estimate) (परिषद निधि एवं निर्माण) सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।	वित्तीय वर्ष 2004–05 परिषद निधि का पुनरीक्षित आय व्ययक अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2005–06 का परिषद निधि आय व्ययक अनुमान जिसका सारांश एजेण्डा पृष्ठ के 18–19 पर अंकित है, अनुमोदित किया गया। इसी के साथ विकास कार्यो हेतु मण्डी विकास निधि/ केन्द्रीय मण्डी निधि में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2005–06 का आय–व्ययक अनुमान जिसका सारांश एजेण्डा पुस्तिका में पृष्ठ 40 पर अंकित है अनुमोदित किया गया। एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ 18, 19 व 40 को कार्यवृत्त का अंश समझा जायेगा। वर्ष 2005–06 में प्राविधानित सम्पर्क मार्गो में नये कार्यो के लिए रू0 180 करोड का प्राविधान है जिसमें से रू0 150 करोड़ नवीन सम्पर्क मार्गो के लिए तथा रू0 30 करोड़ पूर्व निर्मित मार्गो की मरम्मत हेतु अनुमोदित किया गया। वर्ष 2005–06 में प्राविधानित मण्डी स्थलों के नए कार्यो में नवीन मण्डी स्थल/ उप मण्डी स्थल निर्माण मरम्मत एवं विस्तार के कार्यो हेतु रू0 95 करोड़ का प्राविधान है जिसे अनुमोदित किया गया। मण्डी स्थलों के कार्यो में कृषक दुग्ध उत्पाद मण्डी के कार्य भी सम्मिलित हैं।
04.	वित्तीय वर्ष 2005–06 का परफारमेन्स बजट अवलोकनार्थ।	परफारमेन्स बजट का अवलोकन किया गया। कार्यपूर्ति दिग्दर्शक का अवलोकन किया गया। वित्तीय वर्ष 2004–05 में मण्डी परिषद द्वारा राजस्व अर्जन तथा विकास कार्यो की उपलब्धियों की सराहना की गयी तथा कृषि उत्पादन आयुक्त की संस्तुति पर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में गत वर्ष के सापेक्ष 25 प्रतिशत मण्डी शुल्क वृद्धि तथा मण्डी विनियमन/ विपणन व्यवस्था के समग्र विकास के लिए संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रशंसनीय उपलब्धियों के लिए मण्डी परिषद के अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं।
05.	वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु सम्पर्क	प्रस्तावानुसार सम्पर्क मार्ग मरम्मत मद में

	मार्ग के निर्माण/ मरम्मत मद में स्वीकृत बजट प्राविधान में परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार।	अवशेष धनराशि रू0 4.43 करोड़ में से रू0 3.00 करोड़ की धनराशि नये सम्पर्क मार्गो हेतु पुनर्विनियोजित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
06.	प्रदेश के कृषकों के कल्याणार्थ "लोहिया ग्राम योजना" के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्तावानुसार लोहिया ग्राम योजना को वर्ष 2005–06 में 500 ग्राम सभाओं में संचालित करने का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत अनुमन्य विकास कार्यो की सूची में सौर ऊर्जा संचालित ग्राम विद्युतीकरण भी सम्मिलित कर लिया जाय तथा इस निमित्त मण्डी परिषद एवं नेडा के मध्य एक एम0ओ0यू0 निष्पादित कर लिया जाय। अग्रेतर कार्यवाही के लिए मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
07.	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की (नवसृजित धारा 17–ए) के क्रम में प्रदेश में स्थापित होने वाली कृषि प्रसंस्करण इकाई को मण्डी शुल्क से छूट देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1965 एवं मण्डी नियमावली 1965 में संशोधन पर विचार।	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की (नवसृजित धारा 17–ए) के क्रम में प्रदेश में स्थापित होने वाली कृषि प्रसंस्करण इकाई को मण्डी शुल्क से छूट देने के सम्बन्ध में उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 एवं उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965 में संशोधन विषयक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मण्डी अधिनियम 1964 में धारा–2 एफ0एफ0 बढ़ाए जाने तथा मण्डी नियमावली 1965 में नियम 137 बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ 134 व 135 पर अंकित प्रस्ताव से सहमत होते हुए तद्नुसार शासन को संस्तुति प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। एजेण्डा के उक्त पृष्ठों को कार्यवृत्त का अंश माना जायेगा।
08.	देश के बाहर निर्यात की जाने वाली अधिसूचित कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क से छूट दिये जाने हेतु मण्डी अधिनियम 1964 में संशोधन किये जाने पर विचार।	देश के बाहर निर्यात किए जाने वाले निर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट दिये जाने हेतु उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में धारा 2 जी0जी0 बढ़ाए जाने तथा धारा 17–ए में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसी प्रकार उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965 में नियम 138 को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा तद्नुसार शासन को मा0 संचालक मण्डल की संस्तुति

		प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ 148–150 कार्यवृत्त के अंश मान्य होंगे।
09.	मेन्था एवं मेन्था आयल तथा खाल और चमड़ा को मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि उत्पादों की सूची में रखने पर विचार।	अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु के पत्र संख्या 570/उ0ब0/ईडी0 कैम्प/ 2004–05 दिनांक 25.01.2005, अ0शा0 पत्र संख्या उ0ब0/ 2004–05/ एन0सी0एम0/मण्डी शुल्क/525 दिनांक 09.02.2005 तथा अ0शा0 पत्र संख्या उ0ब0/2004–05/ एन0सी0एम0/ मण्डी शुल्क/ 529 दिनांक 14.02.2005 के द्वारा मेन्था तथा मेन्था आयल पर लगाए गए मण्डी शुल्क को वापिस लिया जाना तर्कसंगत बताया गया है। इसी प्रकार औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के अ0शा0 पत्रांक 524/उ0ब0/ 2004–05/ यू0पी0 लेदर दिनांक 09.02.2005 द्वारा खाल तथा चमड़ा पर लगाये गये मण्डी शुल्क को वापस लिए जाने का पूर्ण औचित्य बताया गया है। औद्योगिक विकास विभाग की उक्त संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 6 एवं 8 (1) (क) के अधीन निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की सूची से "मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ और ठोस पदार्थ निकालने के पश्चात बचा अवशेष" तथा "खाल और चमड़ा" को निकालने का निश्चय किया गया। तद्नुसार बोर्ड की संस्तुति अग्रेतर कार्रवाई हेतु शासन को प्रेषित की जाए।
10.	अपना बाजार योजना के अन्तर्गत सम्पत्तियों के सदुपयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार।	अपना बाजार योजना के अन्तर्गत सम्पत्तियों के सदुपयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि इसे एक विशिष्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाय। प्रस्तावानुसार इस परियोजना का विस्तृत अध्ययन आई.आई.एम., लखनऊ के सहयोग से करा लिया जाय। अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराने तथा किसी अन्य तकनीकी विशेषज्ञ की सेवायें लेने के लिए निदेशक, मण्डी परिषद को अधिकृत किया

		गया।
11.	(क) मैंगो पैक हाउस के संचालन एवं प्रबन्धन की स्थायी व्यवस्था के विषय में हुई प्रगति पर विचार।	प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। डिस्ट्रीब्यूटरशिप/ एक्सपोर्टरशिप हेतु प्रकाशित ई0ओ0आई0 के आवेदनों की समीक्षा/ स्क्रूटिनी करने के लिए निदेशक, मण्डी परिषद की अध्यक्षता में अपर निदेशक (प्रशासन), वित्त नियंत्रक तथा प्रभारी उप निदेशक (प्रशासन) की चार सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। एपीडा के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित बैठक दिनांक 01.03.05 में यदि किसी निर्यातक का प्रस्ताव एपीडा की संस्तुति से प्राप्त होता है तो उसे भी उक्त समिति द्वारा विचारार्थ ग्रहण करने का निर्णय लिया गया। डिस्ट्रीब्यूटर एवं एक्सपोर्टर की सूची को अन्तिम रूप देने के लिए मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
	(ख) रहमान खेड़ा, लखनऊ एवं नवीन मण्डी स्थल सहारनपुर में मैगो पैक हाउस के साथ निर्मित राइपनिंग चेम्बर के संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था के विषय में प्रगति पर विचार।	राइपनिंग चेम्बर के संचालन हेतु मै0 लायड इन्सुलेशन के साथ हुई प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया। उक्त फर्म के साथ निगोशियेट करने के लिए निदेशक, मण्डी परिषद को अधिकृत किया गया तथा लायड इन्सुलेनशन के साथ अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने तथा राइपनिंग चेम्बर के संचालन एवं प्रबन्धन की व्यवस्था के लिए मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
12.	नोएडा में प्रस्तावित पुष्प नीलामी केन्द्र–सह–थोक मण्डी की स्थापना विषयक प्रगति आख्या पर विचार।	प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 21.02.05 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया जो एजेण्डा पुस्तिका का अंश माना जायेगा। उच्च स्तरीय समिति में प्रमुख सचिव, कृषि के स्थान पर सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार को नामित करने का निर्णय लिया गया। डिप्टी जी0एम0 एपीडा के पत्र दिनांक 12.01.05 के क्रम में लेटर आफ क्रेडिट के रिवैलीडेशन विषयक प्रस्ताव को, जो एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ 249 क्रमांक 5 पर अंकित है, अनुमोदित किया गया। इसे कार्यवृत्त का अंश माना जाय।

13.	(क) निर्माण के लिए प्रस्तावित 8 कृषक दुग्ध उत्पाद मण्डी की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्तावानुसार 06 महानगरों में 08 किसान दुग्ध उत्पाद मण्डियों के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
	(ख) मण्डी स्थलों/ उप मण्डी स्थलों के निर्माण की स्वीकृति पर विचार।	नवीन मण्डी स्थल, बाराबंकी के निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति के साथ–साथ रूदौली, चन्दौली, अछल्दा, किशनी, रिच्छा तथा कानपुर अतिरिक्त मण्डी स्थल के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
14.	मण्डी समिति, बरीपाल तथा मण्डी समिति, कानपुर के पुर्नगठन पर पुर्नविचार सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।	जिलाधिकारी कानपुर नगर के पत्र संख्या 1417 दिनांक 18.12.04 के साथ प्रेषित मण्डी समिति, बरीपाल तथा मण्डी समिति कानपुर के पुनर्गठन का नया संशोधित प्रस्ताव स्वीकार किया गया। बोर्ड की 109वीं बैंठक में पारित निर्णय को निरस्त किया गया। मण्डी समिति, बरीपाल तथा मण्डी समिति, कानपुर के प्रस्ताव तथा जिलाधिकारी कानपुर नगर की संस्तुति के दृष्टिगत प्रस्ताव के अनुरूप क्रमशः (1) विकास खण्ड पतारा जिला कानपुर नगर की 3 न्याय पंचायत सर्किलों के भीतर का समस्त क्षेत्र अर्थात– 1. पतारा, 2. पडरीलालपुर, 3. इटर्रा (2) विकास खण्ड भीतरगांव जिला कानपुर नगर की 12 न्याय पंचायत सर्किलों के भीतर का समस्त क्षेत्र, अर्थात– 1. बिरहर, 2. भदवारा, 3. बरीमहतैन, 4. बौहार, 5. रार, 6. कुढ़नी, 7. बरईगढ़, 8. साढ़, 9. बेहरा गंभीरपुर, 10, भीतरगांव, 11. पासीखेड़ा तथा 12. रसूलपुर उमरा को मण्डी समिति बरीपाल से निकालकर मण्डी समिति कानपुर में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–8(1)(ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति की जाए।
15.	भूमि अधिग्रहण के मामलें में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुर्नवास के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुनर्स्थापना नीति 2003 (एन0पी0आर0आर0) एवं राजस्व विभाग के प्रसंगत शासनादेश को मण्डी परिषद द्वारा अंगीकृत किये	भूमि अधिग्रहण के मामलें में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुर्नवास के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2003 (एन0पी0आर0आर0–2003) एवं राजस्व विभाग के प्रसंगत शासनादेश संख्याः 132/1–13–2004–20 (29)/2004 रा0– 13 दिनांक 10/21.08.04

	जाने के प्रस्ताव पर विचार।	को मण्डी परिषद द्वारा अंगीकृत किया गया।
16.	विधि परामर्शी के मानदेय बृद्धि पर विचार तथा विधि अनुभाग के कार्याधिक्य के दृष्टिगत अतिरिक्त विधि परामर्शी (सेवा निवृत्त उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी) को रखे जाने पर विचार।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
17.	मण्डी स्थल निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी को भूमि अध्याप्ति परामर्शदाता के रूप में मानदेय पर रखने हेतु प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
18.	वेतनमान का न्यूनतम प्राप्त कर रहे परिषद / मण्डी समिति में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में बोर्ड की गत 109वीं बैठक में पारित कुछ अतिरिक्त परिलब्धियां प्रदान करने के प्रस्ताव के स्पष्टीकरण पर विचार।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रस्तावानुसार मण्डी परिषद / मण्डी समितियों में वेतनमान / वेतनमान का न्यूनतम वेतन में कार्यरत ऐसे गैर–नियमित कार्मिक, जो मूल वेतन पर देय मँहगाई भत्ता, अतिरिक्त मँहगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता के अतिरिक्त अन्य परिलब्धियां पूर्व से प्राप्त कर रहे हैं उनकी परिलब्धियां पूर्ववत बनी रहेंगी।
19.	मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल के संगठन में संशोधन पर विचार।	प्रमुख सचिव, कृषि को मण्डी परिषद के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में बनाए रखने तथा सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को भी संचालक मण्डल का सदस्य नामित किए जाने का निर्णय हुआ। तद्नुसार उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–25 सन 1964) की धारा 26–ख (1) (घ) में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड की संस्तुति के साथ शासन को प्रेषित किया जाए।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1.	दिनांक 31.03.06 तक उत्तर प्रदेश की सभी मण्डी समितियाँ में डबल इन्ट्री प्रणाली लागू करने हेतु विचार।	दिनांक 31.03.06 तक उत्तर प्रदेश की सभी मण्डी समितियों में डबल इन्ट्री प्रणाली लागू कर दी जाय और उसकी प्रगति से अगली बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाय।
2.	109वीं बैठक में प्रोग्रामर एवं उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों	प्रोग्रामर पद के लिए मात्र 604 आवेदन पत्र प्राप्त होने के दृष्टिगत मितव्ययिता एवं समयबद्धता के हित में यह निर्णय लिया गया

	की लिखित परीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल का सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था के सम्बन्ध में पुर्नविचार।	कि प्रोग्रामर पद के लिए सेवा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतएव निश्चय हुआ कि प्रोग्रामर पद की चयन सम्बन्धी कार्रवाई साक्षात्कार के माध्यम से मण्डी परिषद स्तर पर पूर्ण कर ली जाय तथा संचालक मण्डल की 109वीं बैठक में लिए गये निर्णय को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

ह0/–
(डा0 रजनीश दुबे)
मण्डी निदेशक
सदस्य/ सचिव

अनुमोदित
ह0/–

(शिवपाल सिंह यादव)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश